Sec 9(i) 15MTY

3/7/16

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L.-(N) 04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, मार्च 28—अप्रैल 3, 2010, शनिवार/चैत्र 7—चैत्र 13, 1932
No. 14] NEW DELHI, MARCH 28—APRIL 3, 2010, SATURDAY/CHAITRA 7—CHAITRA 13, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय

जयपुर, 22 मार्च, 2010

सं. 18/2009-2010

का.आ. 855.—आयकर नियम, 1962 के नियम 2 सीए के साथ पठनीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 10 के खण्ड (23 सी) की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर एतद्द्वारा निर्धारण वर्ष 2009-2010 एवं आगे के लिए कथित धारा के उद्देश्य से "इण्डियन सोसायटी फोर एजूकेशनल इन्नोवेशन, जयपुर" को स्वीकृति देते हैं बशर्ते कि समिति आयकर नियम, 1962 के नियम 2सीए के साथ पठनीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उप-खण्ड (23 सी) की उप-धारा (vi) के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करे।

[क्रमांक : मुआआ/अआआ/(मु)जय/10(23सी)/(vi)09-10/5760]

बी.एस. ढिल्लों, मुख्य आयकर आयुक्त

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Jaipur, the 22nd March, 2010

No. 18/2009-2010

S. O. 855.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962, the Chief Commissioner of Income-tax, Jaipur hereby approves "Indian Society for Educational Innovation, Jaipur" for the purpose of said section for the A. Y. 2009-2010 & onwards :

Sr. Revenue Inspector
SECL
Kusmunda Area.
19.12.2019

19/12/2019
STAFF - OFFICER (L & R)
SECL KUSMUNDA AREA

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	आई एस 10694(भाग 8) : 2009 स्वचल वाहन-रिम सामान्य अपेक्षाएं भाग 8 अर्थमूविंग मशीन के रिम (पहला पुनरीक्षण)	10694 (भाग 8) : 1983	31 जुलाई, 2009

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ : टीईडी/जी-16]

टी. वी. सिंह, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (टी ई डी)

New Delhi, the 17th March, 2010

S.O. 860.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & title of the the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards, if any, superseded by the New Indian Standard	Date Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 10694 (Part 2) : 2009 Automotive vehicles Rims General Requirements Part 2 passenger car (Second revision)	10694 (Part 2) : 1996	31 July, 2009
2.	IS 10694 (Part 8) : 2009 Automotive vehicles Rims General Requirements Part 8 Earthmoving machine rims (First revision)	10694 (Part 8) : 1983	31 July, 2009

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Anmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: TED/G 16]

T. V. SINGH, Scientist 'F' & Head (Transport Engg.)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

का. आ. 861.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3280 तारीख 26 नवम्बर, 2009 जो भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 5 दिसम्बर, 2009 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि या उस पर के सभी अधिकारों का 752.456 हेक्टर (लगभग) या 1859.31 एकड़ (लगभग) भूमि अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार को पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और छत्तीसगढ़ सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 752.456 हेक्टर (लगभग) या 1859.31 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिएं;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 752.456 हेक्टर (लगभग) या 1859.31 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/पीएलजी/भूमि/375, तारीख 29 जनवरी, 2010 का निरीक्षण कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काऊँसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता (700 001) के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

जटराज ब्लाक, दूसरा विस्तार, कुसमुण्डा क्षेत्र

जिला-कोरबा (छतीसगढ़)

[रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/375, दिनांक 29 जनवरी, 2010)]

सभी अधिकार:—

(क) राजस्व भूमि :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पण
1.	रिस्दी	36	367	कटघोरा	कोरबा	139.793	संपूर्ण
2.	पडनिया	36	364	कटघोरा	कोरबा	242.873	संपूर्ण
3.	पाली	36	365	कटघोरा	कोरबा	131.565	संपूर्ण
4.	जटराज (सर्वेक्षण रहित)	36	369	कटघोरा	कोरबा	25.515	भाग
5.	सोनपुरी	36	368	कटघोरा	कोरबा	172.166	भाग

कुल क्षेत्र : 711.912 हेक्टर (लगभग) या 1759.13 एकड़ (लगभग)

(ख) राजस्व वन भूमि :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पण
1.	रिस्दी	36	367	कटघोरा	कोरबा	18.518	संपूर्ण
2.	पडनिया	36	364	कटघोरा	कोरबा	0.052	संपूर्ण
3.	पाली	36	365	कटघोरा	कोरबा	0.194	संपूर्ण
4.	जट्राज (सर्वेक्षण रहित)	36	369	कटघोरा	कोरबा	0.000	भाग
5.	सोनपुरी	36	368	कटघोरा	कोरबा	21.780	भाग

कुल : 40.544 हेक्टर (लगभग) या 100.18 एकड़ (लगभग)

कुल योग (क+ख): 752.456 हेक्टर (लगभग)
या 1859.31 एकड़ (लगभग)

1. ग्राम रिस्दी (संपूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या : 1 से 585
2. ग्राम पडनिया (संपूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या : 1 से 968
3. ग्राम पाली (संपूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या : 1 से 502
4. ग्राम जटराज (सर्वेक्षण रहित) (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या :

31(भाग), 60(भाग), 61 से 63, 65 से 67, 90 से 92, 95(भाग), 97, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 111, 115, 116, से 118 123(भाग), 127, 128, 135(भाग), 139 से 142, 144, 145, 146(भाग), 147 से 150, 152 से 159, 161 से 165, 168 से 182,

19.12.19
Sr. Revenue Inspector
SECL
Kusmunda Area.

19/12/19
STAFF - OFFICER (L & R)
SECL KUSMUNDA AREA

183(भाग), 184 से 186, 188, 189, 190(भाग), 191, 192(भाग), 231(भाग), 234, 235, 242, 244, 245, 247, 250 से 255, 257, 259, से 263 ।

5. ग्राम सोनपुरी (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या :

1 से 322, 323(भाग), 324, 325(भाग), 326, 327, 328(भाग), 336(भाग), 337 से 416, 417(भाग), 418 से 420, 421(भाग), 446(भाग), 447 से 460 ।

सीमा वर्णन :

क-ख : रेखा बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और ग्राम रिस्दी-दुरपा, पाली-बरकुटा के सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई ग्राम जटराज-बरकुटा के सम्मिलित सीमा में बिन्दु 'ख' पर मिलती है ।

ख-ग : रेखा ग्राम जटराज से गुजरती हुई ग्राम जटराज-सोनपुरी के सम्मिलित सीमा में बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।

ग-घ : रेखा ग्राम सोनपुरी के प्लॉट संख्या 328, 325, 323, 336 से होकर 416 के उत्तरी सीमा और 417 से गुजर कर प्लाट संख्या 419 के उत्तरी सीमा तथा 421 से गुजरती है उसके बाद 447 के उत्तरी सीमा से होती हुई बिन्दु 'घ' पर मिलती है ।

घ-ङ : रेखा ग्राम सोनपुरी के पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमा से गुजरती हुई ग्राम खैरभावना-सोनपुरी-पडनिया के सम्मिलित सीमा में बिन्दु 'ङ' पर मिलती है ।

ङ-च : रेखा ग्राम खैरभावना-पडनिया, कनबेरी-पडनिया, जपेली-पडनिया के सम्मिलित सीमा से होती हुई बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।

च-क : रेखा ग्राम जपेली-रिस्दी, आमगांव-रिस्दी, गेवरा-रिस्दी के सम्मिलित सीमा से होती हुई आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/12/2009-पी आर आई डब्ल्यू-I]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 29th March, 2010

S.O. 861.—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 3280, dated the 26th November, 2009, issued under Sub-Section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act. 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub- section (ii), dated the 5th December, 2009, the Central Government gave notice of its intention to acquire 752.456 hectares (approximately) or 1859.31acres (approximately) land as all rights in or over such lands specified in the Schedule appended to that notification;

And, whereas, the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Chhattisgarh, is satisfied that the lands measuring 752.456 hectares (approximately) or 1859.31 acres (approximately) as all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 752.456 hectares (approximately) or 1859.31 acres (approximately) as all rights in or over such lands as described in the Schedule are hereby acquired.

The Plan bearing No. SECL/BSP/GM/(PLG)/LAND/375, dated, the 29th January, 2010 of the area covered by this notification may be inspected at the Office of the Collector, Korba, (Chhattisgarh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 or at the Office of the South Eastern Coalfield Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).

SCHEDULE

Jatraj Block, 2nd Extension, Kusmunda Area
District Korba, (Chhattishgarh)

[Plan number SECL/BSP/GM(PLG)/LANDI/375, dated the 29th January, 2010]

All Rights:

(A) Revenue Land :

Sl. No.	Name of Village	Patwari halka Number	Village Number	Tahsil	District	Area in Hectares	Remarks
1.	Risdi	36	367	Katghora	Korba	139.793	Full
2.	Padania	36	364	Katghora	Korba	242.873	Full
3.	Pali	36	365	Katghora	Korba	131.565	Full
4.	Jatraj (Unsurveyed)	36	369	Katghora	Korba	25.515	Part
5.	Sonpuri	36	368	Katghora	Korba	172.166	Part

Total : 711.912 hectares (approximately) or 1759.13 acres (approximately).

(B) Revenue Forest Land :

Sl. No.	Name of Village	Patwari halka Number	Village Number	Tahsil	District	Area in Hectares	Remarks
1.	Risdi	36	367	Katghora	Korba	18.518	Full
2.	Padania	36	364	Katghora	Korba	0.052	Full
3.	Pali	36	365	Katghora	Korba	0.194	Full
4.	Jatraj (Unsurveyed)	36	369	Katghora	Korba	0.000	Part
5.	Sonpuri	36	368	Katghora	Korba	21.780	Part

Total: 40.544 hectares (approximately) or 100.18 acres (approximately).

Grand Total (A+B) : 752.456 hectares (approximately)
or 1859.31 acres (approximately).

1. Plot numbers to be acquired in village Risdi (Full): 1 to 585.

2. Plot numbers to be acquired in village Padania (Full): 1 to 968.

3. Plot numbers to be acquired in village Pali (Full): 1 to 502.

4. Plot numbers to be acquired in village Jatraj (Unsurveyed) (Part): 31 (P), 60(P), 61 to 63, 65 to 67, 90 to 92, 95(P), 97, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 111, 115, 116 to 118, 123(P), 127, 128, 135(P), 139 to 142, 144, 145, 146(P), 147 to 150, 152 to 159, 161 to 165, 168 to 182, 183(P), 184 to 186, 188, 189, 190(P), 191, 192(P), 231(P), 234, 235, 242, 244, 245, 247, 250 to 255, 257, 259 to 263.

5. Plot numbers to be acquired in village Sonpuri (Part): 1 to 322, 323(P), 324, 325(P), 326, 327, 328(P), 336(P), 337 to 416, 417(P), 418 to 420, 421(P), 446(P), 447 to 660.

Boundary Description :

A-B : Line starts from point "A" and passes along the common boundary of villages Risdi - Durpa, Pali - Barkuta and meets at point "B" on the common boundary of villages Jatraj - Barkuta.

B-C : Line passes through village Jatraj and meets at point "C" on the common boundary of villages Sonpuri - Jatraj.

C-D : Line passes in village Sonpuri through plot numbers 328, 325, 323, 336, northern boundary of plot No. 416, through 417, northern boundary of plot No. 419, through 421, northern boundary of plot No. 447 and meets at point "D"

D-E : Line passes along eastern, southern and western village boundary of village Sonpuri and meets at point "E" on the common boundary of villages Sonpuri-Khairbhauna-Padania.

E-F : Line passes along the common boundary of villages Padania - Khairbhauna, Kanberi - Padania, Padania - Japeli and meets at point 'F'.

F-A : Line passes along the common boundary of villages Risdi - Japeli, Risdi - Amgaon, Risdi - Gevra and meets at starting point "A".

[No. 43015/12/2009- PRIW-I]
M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

19/12/19

19/12/2019

STAFF - OFFICER (L & R)
SECL KUSMUNDA, AREA

Sec II(i) 15 MTY

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 14—नवम्बर 20, 2010, शनिवार/कार्तिक 23—कार्तिक 29, 1932
No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 14—NOVEMBER 20, 2010, SATURDAY/KARTIKA 23—KARTIKA 29, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय

कोचिन, 14 अक्तूबर, 2010

सं. 2/2010

का.आ. 2864.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, वी. रमा मैथ्यू, सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क गृह, कोचिन एतद्द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों तथा भारत सरकार या सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क गृह, कोचिन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के सख्त अनुपालन की शर्तों पर, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जहाजों में चढ़ने और उतरने के लिए कोचि इन्टरनेशनल मरीना, बोलघाटी द्वीप, एरणाकुलम को बोर्डिंग स्टेशन के रूप में निर्धारित करती हूँ।

[फा. सं. एस-31/167/2010 पीआर कस्टम]

वी. रमा मैथ्यू, सीमाशुल्क आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

Cochin, the 14th October, 2010

No. 2/2010

S.O. 2864.—In exercise of the powers conferred on me under Section 10 of the Customs Act, 1962, I, V.Rama Mathew, Commissioner of Customs, Custom House, Cochin, here appoint, Kochi International Marina, Bolgatty Island, Ernakulam, as a boarding station for the purpose of boarding of, or disembarkation from, vessels by officers of Customs subject to the strict observance of the provisions of the Customs Act, 1962 and other instructions issued in this behalf by the Government of India or Commissioner of Customs, Customs House, Cochin from time to time.

[F. No. S-31/167/2010-Pr Cus.]

V. RAMA, MATHEW, Commissioner of Customs

Sr. Revenue Inspector SECL Kusmunda Area. 19/12/19

19/12/2019 STAFF - OFFICER (L & R) SECL KUSMUNDA AREA

आदेश

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2010

का.आ. 2870.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 861 तारीख 29 सितम्बर, 2010 जो भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 3 अप्रैल, 2010 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में या उस पर के सभी अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड-बिलासपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकारी कम्पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए तैयार है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त 752.456 हेक्टर भूमि और उस पर के सभी अधिकार तारीख 3 अप्रैल, 2010 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :–

(1) उक्त सरकारी कम्पनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसान और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;

(2) उक्त सरकारी कम्पनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त कंपनी वहन करेगी और इसी प्रकार, निहित उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के लिए या उसके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, उक्त सरकारी कंपनी वहन करेगी;

(3) उक्त सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार और या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो क्षतिपूर्ति करेगी;

(4) उक्त सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और

(5) उक्त सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित की जाएं, पालन करेगी ।

[फा. सं. 43015/12/2009-पीआरआईडब्ल्यू ।]

एस. सी. भाटिया, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 18th November, 2010

S.O. 2870.—Whereas, on the publication of the notification of the Government of India, in the Ministry of Coal, number S.O. 861 dated the 29th March, 2010 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd April, 2010, issued under sub-section (1) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over such land as described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of Section 10 of the said Act;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Coal Bearing Areas (Acqusition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby directs that the said land and all rights in or over such land so vested shall, with effect from the 3rd April, 2010, instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions namely :-

1. The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like as determined under the provisions of the said Act;

2. A Tribunal shall be constituted under Section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under condition (1), and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights in or over the said land so vested shall also be borne by the Government Company;

3. The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;

4. The Government Company shall have no power to transfer the said land and the rights to any other person without the prior approval of the Central Government; and

5. The Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land as and when necessary.

[F. No. 43015/12/2009-PRIW-I]

S. C. BHATIA, Director

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2010

का.आ. 2871.—अधिसूचना संख्या का.आ. 1641 दिनांक 28 जून, 2010 की चौथी पंक्ति में सक्षम प्राधिकारी का नाम अर्थात् "श्री बी.एस. कृष्णमूर्ति" के स्थान पर "श्री एस. कृष्णमूर्ति" पढ़ा जाए ।

[फा. सं. पी-25011/1/2009-आपूर्ति]

जे. के. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th November, 2010

S.O. 2871.—In the line 4 of the Notification bearing S.O. 1641 dated 28th June, 2010, the name of the Competent Authority i.e., "Shri B. S. Krishnamoorthi" may be read as "Shri S. Krishnamurthy".

[F. No. P-25011/1/2009-Sup.]

J. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2010

का.आ. 2872.—भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिये उक्त अधिनियम के अधीन संलग्न सूची के कालम (1) में वर्णित व्यक्ति को कालम (2) में वर्णित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है ।

अनुसूची

व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारिता का क्षेत्र
(2)	(2)
श्री एन. सूर्यानारायण, सहायक आयुक्त, मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड, बेंगलूरू में प्रतिनियुक्ति पर	सम्पूर्ण कर्नाटका राज्य

[फाइल सं. एल-14014/29/09-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

19.12.19

Sr. Revenue Inspector SECL Kusmunda Area.

19/12/2019

STAFF - OFFICER (L & R) SECL KUSMUNDA AREA

Sec 9(i) 50 MTY

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2735] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940

No. 2735] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

का.आ. 3506(अ).–केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2002(अ), तारीख 20 जुलाई, 2015 जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 20 जुलाई, 2015 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की 1050.593 हेक्टेयर (लगभग) या 2596.02 एकड़ (लगभग) भूमि और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार को पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और छत्तीसगढ़ सरकार से पुनः परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1050.593 हेक्टेयर (लगभग) या 2596.02 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1050.593 हेक्टेयर (लगभग) या 2596.02 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (पीएलजी)/भूमि/481, तारीख 2 फरवरी, 2016 का निरीक्षण कलक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता–700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर–495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

रिसदी–सोनपुरी ब्लाक, कुसमुण्डा क्षेत्र,

जिला– कोरबा (छत्तीसगढ़)

(रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/ जीएम (पीएलजी)/भूमि/481, तारीख 2 फरवरी, 2016)

19.12.19
Sr. Revenue Inspector
SECL
Kusmunda Area.

19/12/2019
STAFF - OFFICER (L & R)
SECL KUSMUNDA AREA

सभी अधिकारः

(क) राजस्व भूमि :

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्यांक	ग्राम संख्यांक	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	अमगांव	23	95	कटघोरा	कोरबा	107.798	पूर्ण
2.	चुरैल	21	93	कटघोरा	कोरबा	119.235	पूर्ण
3.	खोडरी	21	92	कटघोरा	कोरबा	103.250	पूर्ण
4.	खैरभावना	22	121	कटघोरा	कोरबा	199.340	पूर्ण
5.	गेवरा	20	91	कटघोरा	कोरबा	399.077	भाग
कुल : 928.700 हेक्टर (लगभग) या 2294.82 एकड़ (लगभग)							

(ख) राजस्व वन भूमि (सीजेजे/बीजेजे):

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्यांक	ग्राम संख्यांक	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	खोडरी	21	92	कटघोरा	कोरबा	17.709	पूर्ण
2.	गेवरा	20	91	कटघोरा	कोरबा	104.184	भाग
कुल : 121.893 हेक्टर (लगभग) या 301.20 एकड़ (लगभग)							

कुल योग (क+ख): 1050.593 हेक्टर (लगभग) या 2596.02 एकड़ (लगभग)

1. ग्राम अमगांव (पूर्ण) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 1 से 494.
2. ग्राम चुरैल (पूर्ण) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 1 से 398.
3. ग्राम खोडरी (पूर्ण) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 1 से 340.
4. ग्राम खैरभावना (पूर्ण) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 1 से 890.
5. ग्राम गेवरा (भाग) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 134, 135, 153, 262(भाग), 267, 275 से 958, 959(भाग), 1130, 1132(भाग), 1133 से 1144, 1145(भाग), 1146 से 1151, 1152(भाग), 1162(भाग), 1163(भाग), 1164 से 1181, 1182(भाग), 1183 से 1627 ।

सीमा वर्णन :

ब्लाक –I:

क–ख रेखा बिन्दु ''क'' से आरंभ होती है और ग्राम गेवरा–सलोरा, गेवरा–पंडरीपानी, गेवरा–नरईबोध के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई और बिन्दु ''ख'' पर मिलती है।

ख–ग रेखा बिन्दु ''ख'' से आरंभ होती है और ग्राम गेवरा के प्लाट संख्यांक 262/2 से होकर 263, 272, 274 के दक्षिणी, 277, 267, 153 के पश्चिमी, प्लाट संख्यांक 153, 135, 134, 449, 450, 451, 452, 453 के उत्तरी सीमा, 959, 1162, 1163, 1152 से होकर, प्लाट संख्याक 1149/2 के उत्तरी, 1145, 1132, 1182 से गुजरती हुई ग्राम गेवरा–बरपाली के सम्मिलित सीमा में बिन्दु ''ग'' पर मिलती है।

ग–घ रेखा बिन्दु ''ग'' से आरंभ होती है और ग्राम गेवरा–बरपाली के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई और बिन्दु ''घ'' पर मिलती है।

घ–ङ रेखा बिन्दु ''घ'' से आरंभ होती है और ग्राम खोडरी–बरपाली, खोडरी–दुरपा, खोडरी–रिसदी के भागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई और बिन्दु ''ङ'' पर मिलती है।

ङ–च रेखा बिन्दु ''ङ'' से आरंभ होती है और ग्राम चुरैल–रिसदी, अमगांव–रिसदी के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई और बिन्दु ''च'' पर मिलती है।

च–छ रेखा बिन्दु ''च'' से आरंभ होती है और ग्राम अमगांव–जपेली, अमगांव–बाता, चुरैल–बाता, चुरैल–सिरविदा के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई और बिन्दु ''छ'' पर मिलती है।

छ–क रेखा बिन्दु ''छ'' से आरंभ होती है और ग्राम चुरैल–सलोरा के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई और आरंभिक बिन्दु ''क'' पर मिलती है।

ब्लाक– **II** :

ज–झ रेखा बिन्दु ''ज'' से आरंभ होती है और ग्राम खैरभावना–पडनिया के भागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई और बिन्दु ''झ'' पर मिलती है।

झ–ञ रेखा बिन्दु ''झ'' से आरंभ होती है और ग्राम खैरभावना–सोनपुरी के भागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई और बिन्दु ''ञ'' पर मिलती है।

ञ–ट रेखा बिन्दु ''ञ'' से आरंभ होती है और ग्राम खैरभावना–कनबेरी के भागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई और बिन्दु ''ट'' पर मिलती है।

ट–ज रेखा बिन्दु ''ट'' से आरंभ होती है और ग्राम खैरभावना–कनबेरी के भागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई और आरंभिक बिन्दु ''ज'' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/15/2013–एलए एण्ड आईआर/खंड–IV]

सुरेश कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2018

S.O. 3506(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 2002(E), dated the 20th July, 2015 issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th July, 2015, the Central Government gave notice of its intention to acquire 1050.593 hectares (approximately) or 2596.02 acres (approximately) land as all rights in or over such lands specified in the Schedule appended to that notification.

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Chhattisgarh, is satisfied that the lands measuring 1050.593 hectares (approximately) or 2596.02 acres (approximately) with all rights in or over such lands as described in Schedule appended hereto, should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 1050.593 hectares (approximately) or 2596.02 acres (approximately) with all rights in or over such lands as described in Schedule appended hereto are hereby acquired.

The plan bearing number SECL/BSP/GM/(PLG)/LAND/481, dated the 2nd February, 2016 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Korba (Chhattisgarh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata–700001 or in the office of the South Eastern Coalfield Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).

SCHEDULE

Risdi-Sonpuri Block, Kusmunda Area,

District–Korba (Chhattisgarh)

(Plan bearing number SECL/BSP/GM/(PLG)/LAND/481, dated the 2nd February, 2016)

All Rights:

A. Revenue Land:

Sl. No.	Name of village	Patwari halka number	Village number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Amgaon	23	95	Katghora	Korba	107.798	Full
2.	Churail	21	93	Katghora	Korba	119.235	Full

19.12.19
Sr. Revenue Inspector
SECL
Kusmunda Area.

19/12/2019
STAFF - OFFICER (L & R)
SECL KUSMUNDA. AREA

3.	Khodri	21	92	Katghora	Korba	103.250	Full
4.	Khairbhawna	22	121	Katghora	Korba	199.340	Full
5.	Gevra	20	91	Katghora	Korba	399.077	Part
Total : 928.700 hectares (approximately) or 2294.82 acres (approximately)							

B. Revenue Forest Land (CJJ/BJJ) :

Sl. number	Name of village	Patwari halka number	Village number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Khodri	21	92	Katghora	Korba	17.709	Full
2.	Gevra	20	91	Katghora	Korba	104.184	Part
Total: 121.893 hectares (approximately) or 301.20 acres (approximately)							

Grant Total (A+B) =1050.593 hectares (approximately)

or 2596.02 acres (approximately)

1. Plot numbers acquired in Amgaon (Full) : 1 to 494.
2. Plot numbers acquired in village Churail (Full) : 1 to 398.
3. Plot numbers acquired in village Khodri (Full) : 1 to 340.
4. Plot numbers acquired in village Khairbhawna (Full) : 1 to 890.
5. Plot numbers acquired in village Gevra (Part) : 134, 135, 153, 262(P), 267, 275 to 958, 959(P), 1130, 1132(P), 1133 to 1144, 1145(P), 1146 to 1151, 1152(P), 1162(P), 1163(P), 1164 to 1181, 1182(P), 1183 to 1627.

Boundary Description:

Block-I :

A-B Line starts from point 'A' and passes along partly common boundary of villages Gevra-Salora, Gevra-Pandripani and Gevra-Naraibodh and meets at point 'B'.

B-C Line starts from point 'B' and passes in village Gevra through plot number 262/2, along southern boundary of plot numbers 263, 272, 274, western boundary of plot numbers 277, 267, 153, northern boundary of plot numbers 153, 135, 134, 449, 450, 451, 452, 453, through 959, 1162, 1163, 1152, along northern boundary of plot number 1149/2, through 1145, 1132, 1182 and meets at point 'C' on the common boundary of villages Gevra-Barpali.

C-D Line starts from point 'C' and passes along partly common boundary of villages Gevra-Barpali and meets at point 'D'.

D-E Line starts from point 'D' and passes along partly common boundary of villages Khodri-Barpali, Khodri-Durpa, Khodri-Risdi and meets at point 'E'.

E-F Line starts from point 'E' and passes along partly common boundary of villages Churail-Risdi, Amgaon-Risdi and meets at point 'F'.

F-G Line starts from point 'F' and passes along partly common boundary of villages Amgaon-Japeli, Amgaon-Bata, Churail-Bata, Churail-Sirwida and meets at point 'G'.

G-A Line starts from point 'G' and passes along partly common boundary of villages Churail-Salora and meets at starting point 'A'.

Block-II:

H-I Line starts from point 'H' and passes along partly common boundary of villages Khairbhawna-Padania and meets at point 'I'.

I-J Line starts from point 'I' and passes along partly common boundary of villages Khairbhawna-Sonpuri and meets at point 'J'.

J-K Line starts from point 'J' and passes along partly common boundary of villages Khairbhawna-Kanberi and meets at point 'K'.

K-H Line starts from point 'K' and passes along partly common boundary of villages Khairbhawna-Kanberi and meets at starting point 'H'.

[F. No. 43015/15/2013-LA&IR/Vol.-IV]

SURESH KUMAR, Addl. Secy.

19.12.'19

Sr. Revenue Inspector
SECL
Kusmunda Area.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.07.18 22:54:31 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

19/12/2019

STAFF - OFFICER (L & R)
SECL KUSMUNDA, AREA

Sec 11(i) 50 MTY

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 9—सितम्बर 15, 2018, शनिवार/भाद्र 18—भाद्र 24, 1940

No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 9—SEPTEMBER 15, 2018, SATURDAY/ BHADRA 18—BHADRA 24, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

का.आ. 1353.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3506(अ), तारीख 18 जुलाई, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप – खण्ड (ii), 18 जुलाई, 2018 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" कहा गया है) और ऐसी भूमि, में के या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, पोस्ट बाक्स संख्या 60, जिला बिलासपुर-495 006, छत्तीसगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकारी कंपनी" कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि में के या उस पर के सभी अधिकार केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, तारीख 18 जुलाई, 2018 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्:-

19.12.19
Sr. Revenue Inspector
SECL
Kusmunda Area.

19/12/2019
STAFF - OFFICER (L & R)
SECL KUSMUNDA. AREA

(1) सरकारी कंपनी उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधि के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों आदि से संबंधित और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी ;

(2) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार, निहित उक्त भूमियों में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि जैसी सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत सभी व्यय भी सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;

(3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार, उसके पदधारियों की ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में पूर्वोक्त अधिकारों के बारे में केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;

(4) सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में के पूर्वोक्त अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और

(5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा.सं. 43015/15/2013-एलए एण्ड आईआर/खंड-IV]

राम शिरोमणि सरोज, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 6th September, 2018

S.O. 1353.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal S.O. 3506 (E), dated the 18th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th July, 2018 issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as "the said Act"), the land and all rights in or over the lands described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as "the said land") vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Post Box number 60, District-Bilaspur-495006, Chhattisgarh (hereinafter referred to as the "Government Company") is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that, all rights in or over the said land so vested shall with effect from the 18th July, 2018, instead of continuing to so vest in the Central Government, be deemed to have been vested in the said Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(1) the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;

(2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the said Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government Company;

(3) the Government Company shall indemnify the Central Government, its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the aforesaid rights in the said land so vested;

(4) the Government Company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said land so vested, to any other person without the prior approval of the Central Government ; and

(5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land as and when necessary.

[F. No. 43015/15/2013-LA & IR/Vol.-IV]

RAM SHIROMANI SAROJ, Under Secy.

19.12.19

Sr. Revenue Inspector
SECL
Kusmunda Area.

19/12/2019

STAFF - OFFICER (L & R)
SECL KUSMUNDA. AREA